



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



1 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 766 राँची, शुक्रवार

22 दिसम्बर, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 दिसम्बर, 2023

विषय:- रामगढ़ क्लस्टर (रामगढ़ नगर परिषद् एवं रामगढ़ Cantt. Board) अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु **रु० 63367.52 लाख (रु० छः सौ तैंतीस करोड़ सडसठ लाख बावन हजार)** मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

संख्या-SUDA/SBM/SWM/109-2016-5772--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी MSW Rule, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
4. OSP प्रक्षेत्र, रामगढ़ क्लस्टर (रामगढ़ नगर परिषद् एवं रामगढ़ Cantt. Board) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु 10.8 एकड़ भूमि उपलब्ध होने के क्रम में लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर उक्त योजना का क्रियान्वयन हेतु DPR तैयार कराया गया है, जिसमें जिसमें CAPEX अंतर्गत MRF, Waste Processing Plant तथा Scientific Landfill (SLF) का निर्माण कार्य किया जाना है एवं 20 वर्षों तक Door to door collection, transportation, segregation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना लागत **₹ 63367.52 लाख (₹ छः सौ तैंतीस करोड़ सडसठ लाख बावन हजार)** मात्र है जिस पर मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है। जिसकी विवरणी निम्न तालिका में दर्ज है :

तालिका - I

S. No.	Particular	Amount in ₹ Lakh
1	Total Project Cost (A+B+D)	63,367.52
A	Total CAPEX	3,330.99
B	Total OPEX For 20 Years	59,601.87
C	Income From the Project	31,584.17
D	Others	434.67

5. योजना के CAPEX मद में व्यय, स्वच्छ भारत मिशन -शहरी 2.0 की मार्गदर्शिका के आलोक में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के CAPEX हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹ 443.11 लाख (₹ चार करोड़ तैंतालिश लाख ग्यारह हजार) स्वीकृत किया गया है तथा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा राज्यांश के रूप में ₹ 295.42 लाख (₹ दो करोड़ पंचानवे लाख बयालीस हजार) स्वीकृत किया गया है तथा ₹ 999.58 (₹ नौ करोड़ निन्यबे लाख अन्ठावन हजार) 15th Finance एवं ₹ 593.59 लाख (₹ पाँच करोड़ तीरान्बे लाख उन्सठ हजार) राज्य योजना मद से लेने का प्रस्ताव है। Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात् ₹ 999.30 लाख (₹ नौ करोड़ निन्यानवे लाख तीस हजार) मात्र का व्यय किया जायेगा। CAPEX अंतर्गत Components wise financial break-up की विवरण निम्न तालिका में दर्ज है :

तालिका - II

Ramgarh Cluster Solid Waste Management (CAPEX)– Components wise Financial break-up
(Amount in lakhs)

Fund Flow for CAPEX		Total CapEx	Central Share from SBM 2.0	Matching State Share SBM 2.0	Fund From 15th FC	PPP Share 30%	State Grant
For Ramgarh Nagar Parishad							
1	Primary Collection Storage & Transportation	503.24	0.00	0.00	0.00	150.97	352.27
2	Transfer Station	160.98	0.00	0.00	0.00	48.29	186.23
3	Material Recovery Facilities (MRFs) with RDF	476.51	124.60	83.07	169.92	142.95	
4	Waste Processing Facility	1151.79	266.31	177.54	363.15	345.54	
5	Sanitary Landfill	395.04	52.21	34.81	71.19	118.51	
6	C&D Waste Processing Plant	78.70	0.00	0.00	0.00	23.61	55.09
For Cantonment Board							
1	Primary Collection Storage & Transportation	564.74	0.00	0.00	395.32	169.42	0.00
Total		3330.99	443.11	295.42	999.58	999.30	593.59

उक्त राशि का वर्षवार संभावित व्यय की विवरणी निम्नानुसार है:

(Amt. in Lakh)

Year	Tentative Expenditure
2023-24	1067.98
2024-25	1131.50
2025-26	1131.51

6. योजना के OPEX मद में व्यय, स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के OPEX हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं होने के क्रम में OPEX मद में व्यय निकायों के आंतरिक आय श्रोत (सम्पत्ति कर संग्रह) के 40% तक की राशि से OPEX मद में व्यय किए जाने का प्रस्ताव है | OPEX अंतर्गत व्यय निकायों के सम्पत्ति कर संग्रह के 40% से अधिक होने की स्थिति में शेष राशि का वहन राज्य योजना के सुसंगत मद द्वारा निकायों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जायेगा। इस योजना की 20 वर्षों में OPEX हेतु आने वाले कुल व्यय की Fund Flow निम्नवत तालिका में दर्ज है :

तालिका - III**Ramgarh Cluster Solid Waste Management (OPEX)- Components wise Financial break-up****Amount in ₹ Lakh**

Fund Flow for OPEX		RNP	CBR	Total	State Grant	ULB Share	Income From Project
1	Opex for 20 Years	39856.28	19745.59	59601.87	21283.07	6,734.63	31584.17

7. योजना का वित्त पोषण SBM 2.0 अंतर्गत केन्द्रांश, राज्यांश, 15th Finance एवं राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत Budget शीर्ष से तालिका - IV में अंकित विवरणी के अनुरूप किया जाएगा |

तालिका - IV

S. No.	Particular	Amount in ₹ Lakh	Budget Head
1	Total Project Cost	63,367.52	-
2	Income from Project (Users Charges, Sale of product etc)	31,584.17	-
3	Fund from PP Partner (CAPEX)	999.30	-
4	Central Government Share (CAPEX)	443.11	48-C-2217-80-191-AB-00-06-79
5	Corresponding State Government Share (CAPEX)	295.42	48-S-2217-80-191-AB-00-06-79
6	15th FC Fund (CAPEX)	999.58	48-C-2217-80-191-99-01-06-79
7	ULB Share *	6,734.63	-
8	Total State Grant (CAPEX + OPEX + Others)	22311.33	48-S-2217-80-191-94-01-06-79

*ULB Share : सम्पत्ति कर संग्रहण के अनुमानित आकलन पर आधारित |

8. इस योजना को DBOT (Design ,Built, Operate & Transfer) mode पर किए जाने का प्रस्ताव है |
9. योजना पर कार्य PPP मोड पर करने हेतु Concessionaire का e-चयन निविदा द्वारा किया जाएगा | चयनित concessnaire द्वारा CAPEX Waste Processing Plant का अधिष्ठापन करते हुए 20 वर्षों तक door to door waste collection, storage, transportation, processing एवं disposal का कार्य किया जाएगा | निकाय द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुमोदनोपरान्त Concessionaire चयन हेतु निविदा प्रकाशित की जाएगी| निकाय द्वारा निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पर राज्य शहरी विकास अभिकरण अंतर्गत गठित निविदा समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा |
10. Door to door waste collection, Storage एवं Transportation हेतु संयंत्र एवं वाहनों का क्रय निकाय द्वारा जेम (GeM) पोर्टल से किया जाएगा, (GeM) पोर्टल पर अनुपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार निविदा के माध्यम से क्रय किया जाएगा, जिस पर कुल व्यय रु० 1067.98 लाख (रु० दस करोड़ सड़सठ लाख अनठाबे हजार) संभावित है |

-
11. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव है कि रामगढ़ क्लस्टर (रामगढ़ नगर परिषद् एवं रामगढ़ Cantt. Board) अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 63367.52 लाख (रु० छः सौ तैंतीस करोड़ सडसठ लाख बावन हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है ।
12. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक: 07.12.2023 को मद संख्या - के 21 रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
